

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण

क्रमांक :-आब/बंदो/2018-19/7500

दिनांक :- 31.12.2018

निरस्त किये गये देशी मदिरा कम्पोजिट समूह के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना :-

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 हेतु जिले में निरस्त किये गये निम्न देशी मदिरा समूहों के लिए निर्धारित वार्षिक राशि पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

नाम दुकान/दुकान समूह	वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि	कम्पोजिट राशि	आवेदन शुल्क
कुड़ियों का बास	3911545	481656	21000

- समूह के बन्दोबस्त की स्वीकृति जिस दिनांक से जारी की जावेगी, उसी दिनांक से संबंधित समूह/दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण आनुपातिक आधार पर किया जावेगा।
- आवेदन शुल्क अप्रतिदाय योग्य (Non Refundable) होगा।
- आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2017 -18 एवं 2018-19 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
- आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड कर घर, कार्यालय, ई-मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से (Round the Clock) भरे जा सकते हैं।
- आवेदन आमंत्रण के संबंध में एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication2017-18.org> एवं तथा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण पर भी उपलब्ध हैं।
- समस्त आवेदन ऑनलाईन ही विभागीय वेबसाईट पर स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication2017-18.org> एवं <https://rajexcise.gov.in> पर दिनांक 03.01.19 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त दिशा-निर्देश एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
- आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् उसकी प्रिन्टेड कॉपी दिनांक 04.01.19 को अपराह्न 01.00 पीएम तक आवेदन शुल्क तथा 1 प्रतिशत अमानत राशि के चालान, डिमाण्ड ड्राफ्ट/जीए 55 रसीद संलग्न करते हुए जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण के कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राइविंग लाईसेन्स/आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आईडेण्टिटी/आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
- उक्त दुकान समूह हेतु संबंधित एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 04.01.19 को सायं 03.00 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण पर निकाली जावेगी।
- समूह की आबकारी बंदोबस्त की अवधि वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृति दिनांक 31.03.2019 तक की होगी।

(रेखा माथुर)

जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर ग्रामीण